पुनरीक्षण याचिका ..../16

205

रा.रा. न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्प, इन्दौर के समक्ष

R 4337 - PB 16

कंचनबाई पिता रूगनाथ मारू
निवासी–कोठडा, तहसील कुक्षी ....निगरानीकर्ता

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री शैलेश शर्मा
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 08-12-2016 को प्रस्तुत।
848
08-12-2016
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरूद्ध

डोंगरचन्द पिता रूगनाथ मारू
निवासी–कोठडा, तहसील कुक्षी ...विपक्षी

पुनरीक्षण/निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र., भू–राजस्व संहिता

श्रीमान न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील कुक्षी, जिला धार (म. प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक रा.प्र.क्रं.21/अ–13/2015–16 में दिनांक 17.11.2016 के द्वारा विपक्षी के आवेदन को, निगरानीकर्ता के विरूद्ध निराकृत किया होने से व्यथित होकर उक्त निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :– आदेश दिनांक 17.11.2016 की सत्य प्रतिलिपि संलग्न **अनुलग्नक आर–1,**

संक्षिप्त तथ्य

विपक्षी द्वारा एक आवेदन पत्र कृषि कार्य हेतु आने–जाने के रास्ते को खुलवाये जाने हेतु न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, कुक्षी के समक्ष इस आधार का प्रस्तुत किया, कि विपक्षी की ग्राम कोठडा स्थित स्वयं की कृषिभूमि सर्वे क्रमांक 140/1/2/2 रकबा 2.118 हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य हेतु आने–जाने के रास्ते को निगरानीकर्ता कंचनबाई द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है एवं उक्त रास्ते से आने–जाने में निगरानीकर्ता द्वारा रोक उत्पन्न की गई है। उक्त अवरूद्ध रास्ता खुलवाये जाने का निवेदन किया है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की छायाप्रति संलग्न **अनुलग्नक आर–2।**

विपक्षी द्वारा दिये गये आवेदन की सुनवाई करते हुये श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय द्वारा निगरानीकर्ता को सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रकरण में नायब तहसीलदार महोदय द्वारा स्वयमेव ही, विपक्षी के द्वारा धारा 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के आवेदन को प्रस्तुत न किये जाने पर भी संज्ञान में लेकर विपक्षी के पक्ष में अंतरिम सहायता प्रदान की गई है। निगरानीकर्ता के अभिभाषक के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर तर्क के समय उक्त

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4337-पीबीआर/2016 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	